

**उत्तर प्रदेश शासन****राज्य कर अनुभाग-2-****संख्या-86/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी0सी0-280-30प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(344)-2025****लखनऊ: दिनांक: 13-02-2025****अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचना संख्या- KA.NI.-2-848/XI-9(47)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(15)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

**संशोधन**

1. पूर्वोक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्:-  
" "विशिष्ट परिसर" का वही अर्थ है जो अधिसूचना संख्या KA.NI.-2-842/XI-9(47)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(09)-2017 दिनांक 30.06.2017 के पैरा 4 के खण्ड (xxxvi) में दिया गया है।"
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

Signed by (एम0 देवराज)  
प्रमुख सचिव।  
M Devaraj

Date: 13-02-2025 12:16:01